पत्रांक–2ब0 / बजट–14–12 / 14 / न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजीव शंकर,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक–

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–48, नगर विकास एवं आवास विभाग मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0004–नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, विपत्र कोड सं०–48-2217-80-001-0004 के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक से प्राप्त राशि भाड़े की गाड़ी का भुगतान हेतु कुल ₹10,00,000 (दस लाख रूपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण मांग संख्या–48, मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उप शीर्ष–0004–नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण, विपत्र कोड सं०–48-2217-80-001-0004 के अन्तर्गत तृतीय अनुपूरक आगणन द्वारा प्राप्त भाड़े की गाड़ी का भुगतान हेतु कुल राशि **₹10,00,000 (दस लाख रूपये)** मात्र निम्नवत् स्वीकृत की जाती हैः–

क्र० सं०	बजट शीर्ष 2217 का विषय शीर्ष	कुल स्वीकृत राशि (रूपये में)
1	*2*	*3*
1	0004.13.10– भाड़े की गाड़ी का भुगतान	**10,00,000**
	कुल	**10,00,000**

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹10,00,000 (दस लाख रूपये) मात्र।

2. **स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।**

3. स्वीकृत राशि जिस मद में आवंटित है, उसी मद में व्यय होगी। किसी भी परिस्थिति में विचलन द्वारा अन्य मद में व्यय नहीं की जायेगी। यह राशि व्यय होते ही व्यय विवरणी बजट शाखा को उपलब्ध करा दी जाय।

4. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17.04.98, पत्रांक–227 दिनांक–28.03.2025 एवं पत्रांक–191 दिनांक–16.02.2026 के निदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए की जायेगी।

5. स्वीकृत राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर विपत्र कोड सं०–**48-2217-80-001-0004** मांग सं०–48 मुख्यशीर्ष / उप मुख्यशीर्ष / लघु शीर्ष / उप शीर्ष / विषय शीर्ष का स्पष्ट उल्लेख निश्चित रूप से किया जाय अन्यथा लेखा आँकड़ों के वर्गीकरण में त्रुटि की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. स्वीकृत राशि यदि चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय नहीं हो सके या व्यय होने की संभावना नहीं हो तो शेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक–31.03.2026 तक अवश्य कर दिया जाय। किसी भी परिस्थिति में अव्यवहृत राशि को किसी बैंक खाता में नहीं रखा जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितता की सारी जिम्मेवारी निकास एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–2ब०/बजट–14–12/14 के पृष्ठ सं०–..... 142 /टि० पर दिनांक–24/02/26 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–143 /टि० पर दिनांक–27/02/26 को प्राप्त है।

8. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9. इसकी सूचना संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका भवन न्यायाधिकरण तथा संबंधित कोषागार को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/–
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–2ब0/बजट–14–12/14 505 /न०वि०एवं आ०वि०/पटना, दिनांक–28/2/26

प्रतिलिपिः– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/वित्त (बजट शाखा) विभाग, पटना/कोषागार, पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/विभागीय उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/अध्यक्ष, नगरपालिका भवन न्यायाधिकारण/विभागीय लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एंव आवास विभाग/संबंधित सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 को 2 प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी से अनुरोध है कि आवंटित राशि से अधिक की निकासी किसी भी हालत में नहीं होने दी जाय।

सरकार के संयुक्त सचिव।